

## जिला जन संपर्क कार्यालय, रतलाम

### समाचार

## जिले में अब तक 360.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

-----

रतलाम 7 अगस्त 2010

जिले में बीते 24घंटे के दौरान 14.1मि.मी.औसत वर्षा हुई। इस दौरान आलोट विकासखंड में 10मि.मी., जावरा में 10मि.मी., पिपलौदा में 16मि.मी., बाजना में 24मि.मी., रतलाम में 9.6मि.मी. तथा सैलाना में 15.4मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। जिले में अब तक 360.4मि.मी.औसत वर्षा हो चुकी है जो गतवर्ष के मुकाबले 30.3मि.मी. कम है। पिछले वर्ष उक्तावधि में 390.7 मि.मी. वर्षा हुई थी।

जिले में चालू मानसून सत्र में 7अगस्त की प्रातः 8 बजे तक वर्षामापक केन्द्र की जानकारी के अनुसार आलोट विकासखंड में 284.8 मि.मी. वर्षा हो चुकी है जो गतवर्ष इसी अवधि तक हुई 375.3मि.मी. वर्षा से 90.5 मि.मी. कम है। जावरा में इस वर्ष 255.2मि.मी. वर्षा गतवर्ष की 300मि.मी. से 44.8मि.मी. कम है। पिपलौदा विकासखंड में इस वर्ष 215मि.मी. वर्षा हुई है जो गत वर्ष की वर्षा 478मि.मी. के मुकाबले 263मि.मी. कम है। बाजना विकासखंड में अब तक 477मि.मी. वर्षा हुई है जो गतवर्ष की 374मि.मी. से 103मि.मी. अधिक है। रतलाम विकासखंड में इस वर्ष अब तक 550.8 मि.मी. वर्षा हो चुकी है जो गत वर्ष इसी अवधि तक हुई 416.4मि.मी. वर्षा से 134.1 मि.मी. अधिक है। सैलाना विकासखंड में इस वर्ष 380 मि.मी. वर्षा हुई है जो गत वर्ष की वर्षा 400.5मि.मी. के मुकाबले 20.5 मि.मी. कम है।

क्रमांक 917/2010

-----

## छात्रवृत्ति शिविरों का विकासखंडस्तर पर आयोजन 10 अगस्त से

**रतलाम 7 अगस्त 2010/विभागीय छात्रवृत्ति योजनाओं का समयावधि में क्रियान्वयन करने एवं इस कार्य में गतिलाने के उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग द्वारा विकासखंडस्तर पर छात्रवृत्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में विकासखंड क्षेत्र के समस्त संस्थाओं के प्रमुखों को उपस्थित होकर छात्रवृत्ति प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत करना होगी। अनुपस्थित रहनेवाले संस्था प्रमुखों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।**

उक्त जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त श्री जे.पी.यादव ने बताया कि सैलाना विकासखंड में कन्या उ.मा. वि.शाला भवन सैलाना पर 10अगस्त को प्रातः 11बजे से 4बजे तक, बाजना विकासखंड में बालक उ.मा.वि. शाला भवन बाजना में 11 अगस्त को प्रातः 11बजे से 4बजे तक, आलोट विकासखंड में बालक उ.मा.वि. शाला भवन आलोट में 13 अगस्त को दोपहर 12से 2बजे तक, जावरा विकासखंड में महात्मा गांधी उ.मा.वि. जावरा में 17 अगस्त को प्रातः 11से 4बजे तक, पिपलौदा विकासखंड में बालक उ.मा.वि. भवन पिपलौदा में 19अगस्त को प्रातः 11बजे से शिविर आयोजित होगा। इसी तरह रतलाम विकासखंड में बालक उ.मा.वि. माणकचौक रतलाम में केवल शासकीय संस्थाओं हेतु 25अगस्त को तथा अशासकीय संस्थाओं हेतु 27अगस्त को प्रातः 11बजे से 4बजे तक शिविर आयोजित किया जाएगा।

श्री यादव ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य अपने महाविद्यालय की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति नवीन, नवीनीकरण की पृथक पृथक स्वीकृतियां छात्रवृत्ति कार्य करनेवाले कर्मचारी के साथ शिविर में भेजेंगे। अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य अपने महाविद्यालय की पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति नवीन, नवीनीकरण के आवेदन पत्र पूर्ति कराकर स्वीकृति प्रस्ताव सूची सहित छात्रवृत्ति कार्य करनेवाले कर्मचारी के साथ शिविर में भेजेगे। इसी तरह कक्षा एक से 5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कन्याओं की स्वीकृति नोडल (संकुल) प्राचार्य अपनी संस्था व अधीनस्थ शासकीय अशासकीय संस्थाओं की अपने स्तर से एकजाई जारी कर स्वीकृति की दो प्रतियां प्रस्तुत करेंगे। संस्था प्रधान विकासखंड, सैलाना, बाजना को कक्षा एक से 5 तक की छात्रवृत्ति की स्वीकृतियां विकासखंड शिक्षा अधिकारी सैलाना, बाजना को प्रस्तुत करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी 31 अगस्त 2010 तक प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्था वार छात्र संख्या एवं राशि की मांग करेंगे ताकि मांग अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त व्यवस्था सत्र 2010-11से प्रभावशील होगी। समस्त प्राचार्य उ.मा.वि. संकुल शाला प्रभारी, शासकीय एवं अशासकीय शाला, बैंक भुगतान छात्रवृत्ति स्क्रोल शिविर में अनिवार्यरूप से लाएंगे। छात्रवृत्ति अग्रिम राशि संबंधित संस्था प्रमुख को दी गई है। उक्त राशि बैंक स्क्रोल नहीं देने पर उन्ही से वसूल की जाएगी। विभागीय समस्त छात्रावास के अधीक्षक अपने क्षेत्र में स्थित संस्था प्रमुखों को शिविर की जानकारी देंगे व उनसे पेडिंग बैंक स्क्रोल दो-दो प्रतियों में शिविर में प्राप्त कर शाखा प्रभारी को संकलित कर प्रस्तुत करेंगे। शिविर स्थल के छात्रावास अधीक्षक शिविर की व्यवस्था भी देखेंगे।

क्रमांक 918/2010

-----

## जिला जन संपर्क कार्यालय, रतलाम

### समाचार

## कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

-----

रतलाम 7 अगस्त 2010

जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट तथा मेक्रोमेनेजमेंट योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शासन की इन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को टेक्टर, पावर टिलर, डीजल पंप, विद्युत पंप, रोटावेटर, सीड ड्रिल, रेनगन, पशुचलित यंत्र तथा हस्तचलित उन्नत कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान में संशोधन किया गया है।

एक अगस्त से अनुदान योजना में हुए संशोधन अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 50 प्रतिशत टापअप अनुदान दिया जाएगा। मेक्रोमेनेजमेंट की कृषि यंत्रीकरण योजना में अब 75 प्रतिशत अधिकतम 6000 रूपए जो भी कम हो दिया जाएगा। साथ ही बैल चलित यंत्रों टापअप अनुदान मिलाकर अब 75 प्रतिशत अधिकतम 7500 रूपए जो भी कम हो की पात्रता होगी। उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग के समय श्रम एवं लागत की बचत होती है, साथ ही कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। किसानभाई अधिक जानकारी के लिए अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर यंत्रों पर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। कृषक एम.पी.एग्रो से सिंगल डोरा, बक्खर, हेन्डहो, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल इत्यादि प्रथम आएं प्रथम पाएं के आधार पर अनुदान पर एम.पी.एग्रो संस्था से या विभाग से प्राप्त करें।

क्रमांक 919/2010

-----

## राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 31 अगस्त तक जमा होंगे

**रतलाम 7 अगस्त 2010/** मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत शासन द्वारा वर्ष 2010-11 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु मेधावी बच्चों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रस्तावित की गई है। जिन मेधावी छात्रों के अभिभावकों की आय 1.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम हो वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी परीक्षा में चयनित होने पर छात्रों को 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 7वीं 55 प्रतिशत अंकों के साथ (आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत अंको की छूट) उत्तीर्ण छात्र आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या राज्य शिक्षा विभाग की वेबसाइट [www.ssa.mp.gov.in](http://www.ssa.mp.gov.in) से प्राप्त करते हैं।

क्रमांक 920 /2010

-----

## प्राचार्यों की बैठक 8 एवं 9 अगस्त को

**रतलाम 7 अगस्त 2010/** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले के विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति गठित की जाना है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए प्राचार्यों की विकासखंडवार बैठक आयोजित की गई है। जावरा, पिपलौदा एवं आलोट विकासखंड के प्राचार्यों की बैठक 8 अगस्त को प्रातः 10 बजे महात्मा गांधी उत्कृष्ट उ.मा.वि. जावरा पर होगी। इसी तरह रतलाम, बाजना एवं सैलाना विकासखंड के प्राचार्यों की बैठक 9 अगस्त को प्रातः 10 बजे विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभाकक्ष रतलाम पर आयोजित की गई है।

क्रमांक 921 /2010

-----

## क्रयादेश अनुसार दो जोड़ी गणवेश प्रदान करें

**रतलाम 7 अगस्त 2010/** रतलाम जिले में माह जुलाई में समस्त विकासखंडों में संपन्न साईकिल सह गणवेश मेलों में उपस्थित होकर संबंधित पीटीए से क्रयादेश प्राप्त करने वाले समस्त विक्रेताओं द्वारा क्रयादेश में उल्लेखित तिथि को संबंधित पीटीए को प्रदत्त संख्या अनुदार दो जोड़ी गुणवत्तायुक्त गणवेश प्रदाय करना होगा। क्योंकि गणवेश वितरण नियत समय सीमा 10 अगस्त तक वितरण अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना है। समय सीमा में निर्धारित संख्या में संबंधित पीटीए को गणवेश उपलब्ध नहीं करवाने पर संबंधित विक्रेता को दोषी माना जाएगा।

क्रमांक 922/2010

-----

## जिला जन संपर्क कार्यालय, रतलाम

### समाचार

#### नगर पंचायत धामनोद के अध्यक्ष पद का आरक्षण 13 अगस्त को

रतलाम 7 अगस्त 2010

नवगठित नगर पंचायत धामनोद के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्रवाई 13 अगस्त 2010 को प्रातः 11 बजे नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश में संपन्न होगी। श्री एस.एन.मिश्रा आयुक्त एवं विहित प्राधिकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण ) नियम 1999 के अंतर्गत 6 अगस्त 2010 को जारी की गई सूचना अनुसार रतलाम जिले की नवगठित नगर पंचायत धामनोद एवं जिला सीहोर की नगर पंचायत शाहगंज के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्रवाई 13 अगस्त 2010 को प्रातः 11 बजे नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय शिवाजीनगर भोपाल के सभागृह में विहित प्राधिकारी श्री मिश्रा द्वारा संपन्न की जाएगी।

क्रमांक 923 /2010

#### 15 अगस्त के पूर्व प्रत्येक बालिका को दो जोड़ी गणवेश प्रदान करे

रतलाम 7 अगस्त 2010

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जिले के लिए नियुक्त प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा जोशी की अध्यक्षता में रतलाम जिले के समस्त विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक जनपद शिक्षा केन्द्र रतलाम में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसंबंधितों को निर्देशित किया गया कि सभी शालाओं में 15 अगस्त के पूर्व बालिकाओं को दो जोड़ी गणवेश प्रदान की जाना सुनिश्चित करे। गणवेश क्रय एवं वितरण का दायित्व पीटीए का है। पीटीए द्वारा गुणवत्तायुक्त गणवेश वितरण का कार्य नियम समय-सीमा में 10 अगस्त तक अनिवार्यतः पूर्ण कराए।

संबंधितों को यह भी निर्देशित किया गया कि समय-सीमा में गणवेश एवं साईकिल वितरण की प्रक्रिया पूर्ण हो इसके लिए समस्त विकासखंड के मुख्यालय पर कन्ट्रोलरूम बनाकर प्रतिदिन गणवेश एवं साईकिल वितरण की जानकारी प्राप्त कर जिला मुख्यालय को प्रेषित करे। जो पालक शिक्षक संघ समय पर गणवेश छात्राओं को उपलब्ध नहीं कराते है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गणवेश क्रय एवं वितरण से संबंधित पर्यवेक्षण का दायित्व जनशिक्षक एवं विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक का है। जिन जनशिक्षकों एवं बीआरसी के क्षेत्र में गणवेश वितरण समय पर नहीं होती है उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। इस अवसर पर परियोजना समन्वयक श्री के.एस.रावत, डाईट प्राचार्य श्री वास्कले भी मौजूद थे।

क्रमांक 924 /2010

#### रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण में श्रवणबाधितों, मूकबधिरों को प्रवेश

रतलाम 7 अगस्त 2010

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित शासकीय संस्था राजकीय प्रौढ मूक बधिर प्रशिक्षण संस्थान समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा इंदौर द्वारा श्रवणबाधितों मूकबधिरो को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण डाटा एन्ट्री आपरेटर का निःशुल्क 6 माह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उप संचालक सामाजिक न्याय श्री के.एन.जोशी ने बताया कि जिले में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण श्रवणबाधित मूक बधिर प्रवेश के लिए संबंधित संस्था को आवेदन प्रेषित कर सकते है। आवेदन के साथ 3 पासपोर्ट साईज फोटो, आय, जाति तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर के श्रवणबाधितों को आवास, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधा दी जाएगी।

क्रमांक 925 /2010